

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/22

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा हाल सिरौही
(राज)

भरत कुमार पुत्र श्री वस्तुपालजी मैसर्स-
VK MART, उदयपुर रोड, पालोदा,
बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 21-03-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा हाल सिरौही (राज.) के द्वारा दिनांक 09-02-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-08-2022 को 12.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स - VK MART उदयपुर रोड, पालोदा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर भरत कुमार पुत्र श्री वस्तुपालजी उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर Chilli Powder (Brand- Everest) के 15 पैकेट प्रत्येक पैकेट 500-500 ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Chilli Powder (Brand- Everest) के 4 पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा Chilli Powder (Brand- Everest) के पैकेट पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1179 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर,



याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/307-08 दिनांक 19-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 12-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Chilli Powder (Brand- Everest)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1179** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Chilli Powder (Brand- Everest)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।


प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21-03-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/307-08 दिनांक 19-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 12-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Chilli Powder (Brand- Everest)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1179** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्रान्डेड **Chilli Powder (Brand- Everest)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)



चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/307-08 दिनांक 19-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 12-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Chilli Powder (Brand- Everest)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1179** Misbranded food under section 3(1)(z) of food safety and standers act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Chilli Powder (Brand- Everest)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21-03-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/307-08 दिनांक 19-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 757 दिनांक 12-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Chilli Powder (Brand- Everest)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1179** Misbranded food under section 3(1)(z) of food safety and standers act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया है। ऐसी रिथति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(z) के तहत मिसब्रान्डेड **Chilli Powder (Brand- Everest)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं

य निर्णयन अधिकारी
अति.जिला मजिस्ट्रेट
बॉसवाडा (राज.)

मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी भरत कुमार पुत्र श्री वस्तुपालजी मैसर्स VK MART उदयपुर रोड, पालोदा, बांसवाडा को रुपये 30000/- (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 21-03-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया



(डॉ. दिनेश सत्य सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा